Universal Sompo General Insurance
Suraksha, Hamesha Aapke Saath

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

छोटा प्रीमियम बड़ी सुरक्षा | मौसम - खरीफ 2021

उद्देश्य	पात्र कृषकः
▸ प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गयी अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना। ▸ कृषि में उन्नति तकनीकि के प्रयोग को बढ़ावा देना। ▸ आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना।	▸ अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले वाले सभी कृषक (ऋणी/गैर ऋणी) ▸ ऋणी कृषकों को बीमा में शामिल न होने के सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित बैंक को बीमा की अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। ▸ ऐसे कृषक बीमा में तभी शामिल हो सकते हैं जब वह अपना प्रार्थना पत्र पुनः बीमा में शामिल होने हेतु देंगे।)

अधिसूचित फसल	बीमा की इकाई	बीमित राशि (रू/हे)	प्रीमियम की राशि (रू/हे)	बीमा कराने की अन्तिम तिथि
धान, ज्वार, बाजरा, मक्का उर्द, मूंग, अरहर, तिल, सोयाबीन व मूंगफली	संसूचित ग्रामपंचायत	प्रति हेक्टेयर संसूचित राशि	बीमित राशि का 2%	31 जुलाई, 2021

(जनपदवार/फसलवार बीमित राशि एवं देय प्रीमियम पीछे पृष्ठ पर अंकित है)

बीमा कहाँ करायें/जानकारी हेतु

- सम्बन्धित बैंक शाखा
- जन सेवा केन्द्र (CSC)
- भारत सरकार के PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in)
- क्रियान्वयक अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थ/कार्यालय

(कृषकों द्वारा देय प्रीमियम राशि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क बीमा के लिए देय नहीं है)

ग्रामपंचायत स्तर पर (क्षेत्र आधारित)	व्यक्तिगत आधार पर
▸ असफल बुआई की स्थिति में। ▸ फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा से नुकसान की स्थिति में। ▸ फसल कटाई के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज में गारन्टीड/थ्रेशोल्ड उपज की तुलना में कमी होने की स्थिति में।	▸ **स्थानीय आपदा** – खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़ कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण क्षति की स्थिति। ▸ फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात/चक्रवाती वर्षा/बेमौसम बारिश से क्षति की स्थिति। ▸ उपरोक्त आपदा की स्थिति में कृषक द्वारा 72 घण्टे के अन्दर सूचना देना अनिवार्य है।

फसल नुकसान के सम्बन्ध में सूचित करने हेतु

- टोल फ्री नं 1800 889 6868
- सम्बन्धित बैंक शाखा
- कृषि/उद्यान विभाग कार्यालय
- क्राप इन्श्योरेन्स ऐप

कृषक बीमा सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए राज्य अधिसूचना, बीमा प्रपत्र, भारत सरकार के PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in), कृषि/उद्यान विभाग, टोल फ्री नं एवं क्रियान्वयक अभिकरण से सम्पर्क करें।

अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नं: 1800 200 5142

संपर्क कार्यालय: यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्शोरेंस कं लि, चौथी मंजिल,
४०१ - शालीमार लॉजिक्स, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, यूपी – २२६००१

HINDI/LEAFLET PMFBY/CROP/UP/KHARIF2021/014/2021 | IRDAI Regd. No.134 | Regd. Office : 103, First Floor, Ackruti Star, MIDC Central Road Andheri (East) , Mumbai-400093 Maharashtra. | Fax# 022-29211844 | CIN# U66010MH2007PLC166770. | UIN: IRDAN134P0001V01201617 | Insurance is the subject matter of solicitation. | For more details on risk factors, terms and conditions please read policy document carefully before concluding a sale.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

मौसम खरीफ - 2021 के अन्तर्गत जनपद/फसलवार बीमित राशि एवं कृषक देय प्रीमियम राशि (रु / हे)

(खरीफ - 2021 मौसम के अन्तर्गत यूनिवर्सल सोम्पो को अधिकृत जिलों के अधिसूचित फसलों में बीमा के लिए देय प्रीमियम दर बीमित राशि का 2%)

जनपद / फसल	उर्द		मिर्च		मूंग		मूंगफली		मक्का		धान		बाजरा		अरहर		तिल		ज्वार	
	बीमित राशि प्रति हे0	किसान द्वारा देय प्रीमियम	बीमित राशि प्रति हे0	किसान द्वारा देय प्रीमियम	बीमित राशि प्रति हे0	किसान द्वारा देय प्रीमियम	बीमित राशि प्रति हे0	किसान द्वारा देय प्रीमियम	बीमित राशि प्रति हे0	किसान द्वारा देय प्रीमियम	बीमित राशि प्रति हे0	किसान द्वारा देय प्रीमियम	बीमित राशि प्रति हे0	किसान द्वारा देय प्रीमियम	बीमित राशि प्रति हे0	किसान द्वारा देय प्रीमियम	बीमित राशि प्रति हे0	किसान द्वारा देय प्रीमियम	बीमित राशि प्रति हे0	किसान द्वारा देय प्रीमियम
औरैया	46067	921.34							46189	923.78	84490	1689.8	46868	937.36	73996	1479.92	11025	220.5	37648	752.96
बस्ती											69821	1396.42								
इटावा									50878	1017.56	79089	1581.78	49052	981.04	127936	2558.72				
फर्रुखाबाद									50456	1009.12	78789	1575.78	36484	729.68			10026	200.52		
फतेहपुर	34656	693.12	50000	2500	28327	566.54					71373	1427.46	21344	426.88	60784	1215.68	14539	290.78	33155	663.1
हमीरपुर	26539	530.78			28905	578.1									60622	1212.44	14332	286.64	25138	502.76
हरदोई	34006	680.12					57537	1150.74	37928	758.56	66532	1330.64	27212	544.24	53615	1072.3	37574	751.48	33823	676.46
कन्नौज			50000	2500					42360	847.2	78887	1577.74	38156	763.12			14539	290.78		
कानपुर देहात	44392	887.84							43014	860.28	84098	1681.96	48956	979.12	108889	2177.78	11025	220.5	38179	763.58
कानपुर नगर	37381	747.62	50000	2500					45802	916.04	74368	1487.36	34548	690.96	125570	2511.4	12244	244.88	43865	877.3
कौशम्बी	34736	694.72	50000	2500			49312	986.24			62895	1257.9	23692	473.84	83218	1664.36	11453	229.06	28162	563.24
खीरी	44905	898.1	50000	2500			43234	864.68	26502	530.04	79949	1598.98					22192	443.84		
लखनऊ	27976	559.52							25615	512.3	64447	1288.94	22576	451.52					30503	610.06
प्रतापगढ	37666	753.32									65329	1306.58	18484	369.68	66340	1326.8			28667	573.34
प्रयागराज											76181	1523.62	19480	389.6	70841	1416.82			25281	505.62
रायबरेली	18297	365.94	50000	2500			34022	680.44			66434	1328.68			43964	879.28			20094	401.88
सन्त कबीर नगर									29357	587.14	59802	1196.04			45286	905.72				
सिद्धार्थ नगर											73268	1465.36								
सीतापुर	33151	663.02					45067	901.34	17572	351.44	65237	1304.74	18444	368.88	90248	1804.96	27847	556.94	30110	602.2
उन्नाव	33721	674.42	50000	2500	41651	833.02	44252	885.04	32173	643.46	54221	1084.42			52142	1042.84	8677	173.54	26051	521.02

Universal Sompo General Insurance
Suraksha, Hamesha Aapke Saath

कृषि विभाग राजस्थान DOA

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित

खरीफ 2021

किसानो द्वारा देय बीमा की अधिकतम प्रीमियम दर

खरीफ फसलों के लिए केवल **2%,** रबी फसलों के लिए केवल **1.5%,** एवं वार्षिक वाणिज्यिक / बागवानी फसलों केवल **5%**

प्रश्न: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन-कौन से जोखिम शामिल हैं?

उत्तर: 1. फसलों की बुवाई/ बुवाई न कर पाने/ असफल अंकुरण जोखिम: बीमित क्षेत्र में काम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम / मौसमी दशाओं के कारण बुवाई / पौध रोपण / अंकुरण न होने से हुई हानि से सुरक्षा प्रदान करना

2. खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक): सूखा, शुष्क स्थिति, बाढ़, जलप्लावन, व्यापक रूप से किटों व रोगोंके प्रभाव, भूस्खलन, प्राकृतिक कारणों से आग, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि तथा चक्रवात जैसे रोके न जा सकने वाले जोखिमों के कारन उपज नुकसान को आच्छादन करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा आवरण प्रदान किया जाता है

3. फसल कटाई के उपरांत नुक्सान यह प्रावधान ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और बेमौसम वर्षा होने की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर खेत में काटकर व फैलाकर/ छोटे गट्ठरों में बांधकर सुखाने हेतु रखी गई फसलों को फसल कटाई के पश्चात् केवल १५ दिनों की अधिकतम अवधि में हानि होने की स्थिति में संरक्षण प्रदान करता है

4. स्थानीय आपदाएं: योजना के तहत स्थानीयकृत जोखिमों / आपदाओं तथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बदल फटने तथा अधिसूचित इकाई अथवा किसी खेत के हिस्से पर बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग लगने से फसल को होने वाले नुकसान को व्यक्तिगत किसानो के खेत के स्तर पर बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है|

प्रश्न: गैर ऋणी किसान द्वारा फसल बीमा लेने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जमा करना अनिवार्य हैं ?

उत्तर: गैर ऋणी किसानों को राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार आधार कार्ड, पटवारी द्वारा सत्यापित नवीनतम जमाबंदी की नक़ल, बैंक खाते के पासबुक की प्रति जिसमे कोड और खाता संख्या अंकित हो या खाते का रद्द चेक की प्रति, बटाईदार कृषक होने पर उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त शपथ पत्र, बीमा कराने वाले कृषक का स्वयं का घोषणा पत्र, बटाईदार एवं भू-स्वामी की आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति जमा करवाना अनिर्वाय हैं।

फसल बीमा हेतु अथवा योजना की अधिक जानकारी के लिए

बैंक शाखा | www.pmfby.gov.in | सहकारी समिति | कृषि विभाग | CSC e-Governance Services India Limited

अथवा टोल फ्री नंबर **1800 200 5142** या विजिट करें
www.universalsompo.com
अथवा भारत सरकार से जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर **1800 180 1551** पर संपर्क करें।

स्थानीय आपदा एवं फसल कटाई के उपरान्त नुकसान की सूचना अथवा दावे की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया अपने एंड्रॉइड फ़ोन के माध्यम से ANDROID APP ON Google play द्वारा फसल बीमा ऐप डाउनलोड करें।

खरीफ 2021 में ऋणी एवं गैरऋणी किसानों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि	**31 जुलाई 2021**
खरीफ 2021 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर रहने (opt out) की अंतिम तिथि	**24 जुलाई 2021**
खरीफ 2021 में ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना सम्बंधित वित्तीय संस्थान को देने की अंतिम तिथि	**29 जुलाई 2021**

शिकायत निवारण प्रक्रिया।

में हम ग्राहकों को सर्वोत्तम संभव सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है । हालांकि, यदि आप प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है और शिकायत दर्ज करना चाहते है, तो आप निचे बताए गए चरणों का पालन कर सकते है।

पहला कदम: हमारे निशुल्क सेवा केंद्र **1800 200 5142** पर कॉल करें अथवा contactus@universalsompo.com पर ई-मेल करें।

दूसरा कदम: अगर उपरोक्त कदमों को अपनाने के बाद भी मामला सुलझता नहीं है, तो आप समाधान के लिए बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

संपर्क कार्यालय: यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. लि. निचली मंजिल, 29-B, वाइट सफायर अपार्टमेंटस, गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर-302004, फ़ोन नं: 0141-2604414
HIN/CROP/POST/037/2020 | IRDAI Regd. No.134 | Regd. Office : Unit No. 401, 4th Floor, Sangam Complex, 127, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai – 400059, Maharashtra. | Fax# 022-29211844 | CIN# U66010MH2007PLC166770.
|UIN: IRDAN134CP0001V01201617 | Insurance is the subject matter of solicitation. | For more details on risk factors, terms and conditions please read policy document carefully before concluding a sale.